बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट – 263653
जनपद–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) ।

<u>विज्ञापन सं0 बि.त्रि.कु..प्रौ.स./01/निविदा/2014–15</u>

टू बिड निविदा सूचना

बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में निम्नवत कार्यो के संचालन हेतु अधिकृत एवं पंजीकृत ठेकेदारों से टू बिड मुहरबंद निविदायें आंमत्रित की जाती है ।

01. सुरक्षा सम्बन्धी कार्य, (केवल भूमि अध्याप्त द्वारा पंजीकृत सोसाइटी हेतु)
02. सेवा प्रदाता (outsourcing) के माध्यम से तकनीकी एवं अकुशल कर्मचारी,
03. संस्थान परिसर में दुकान/कैंटीन,
04. संस्थान के विभिन्न परिसरों में जलापूर्ति का कार्य (टेंकर के द्वारा)
05. सिविल अनुरक्षण कार्यो हेतु दर अनुबंध

उपरोक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र पूर्ण विवरण, शर्तो व निबन्धनों के साथ संस्थान में 2270/– नगद जमा करके किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 10.03.2015 तक (प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) संस्थान के अधिष्ठान अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते है । निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाने पर 2270/– + 50/– (Postal Charges) का डिमाण्ड ड्राफट निदेशक, बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट के नाम से बनाकर भारतीय स्टेट बैंक, के0ई0सी0 शाखा, द्वाराहाट के पक्ष में देय हो आवेदन के साथ अवश्य भेजें । पूर्ण निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट www.kecua.ac.in पर उपलब्ध है एवं डाउनलोड किये जा सकते है । वेबसाइट से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने पर भी 2000/– + 13.5% (vat) = रू0 2270/– जमा करना आवश्यक होगा । किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

निदेशक

बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–1 (क्वालिफिकेषन बिड)

(आईटम सं0............................हेतु निविदा)

विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों की आपूर्ति / टैंकर द्वारा जलापूर्ति हेतु निविदा

निविदा संख्या : बि0त्रि0कु0प्रौ0सं0 / 01 / सर्विस प्रोवाइडर 2015–16 दिनांक

01. एजेंसी का नाम तथा पता
02. स्थापना वर्ष
03. एजेंसी में कुल प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या
04. आयकर विभाग में पंजीकरण संख्या
05. राज्य शासन / केन्द्र शासन में पंजीकरण संख्या
    (क) सोसाइटी पंजीकरण
    (ख) सेवाकर पंजीकरण
06. अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों / शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्य का अनुभव वर्षों में एवं विवरण, नियुक्त कर्मियों की संख्या सहित (प्रमाण पत्र सहित)
07. आपकी अपनी एजेन्सी के कार्यों के नियंत्रण / प्रशासनिक तथा गुणवत्ता / विशिष्टता संबंधी जानकारी
08. ई0पी0एफ0 पंजीकरण संख्या जो उप क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय से निर्गत हो, प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सहित तथा क्लीयरेंस
09. संबंधित कार्य का अनुभव जो कम से कम तीन वर्ष से कम न हो संबंधी प्रमाण पत्र
10. निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि एवं समय.. बजे तक
11. निविदा खुलने की तिथि एवं समय .... ।
12. धरोहर राशि प्रत्येक कार्य का अलग–अलग रू0 25000 / – (जलापूर्ति टैंकर द्वारा रू0 10000 / –)
13. धरोहर राशि का विवरण
    धनराशि रू0
    बैंक डी0डी0 नं0
    जारी होने का दिनांक
    जारी करने वाला बैंक

निविदादाता के हस्ताक्षर

निदेशक, बीटीकेआईटी

बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान,
द्वाराहाट, जनपद–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–2 (फाईनेन्षियल बिड)
विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों की आपूर्ति हेत /टैंकर द्वारा जलापूर्ति निविदा
(आईटम सं0............................हेतु निविदा)

यहां पर बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के प्रतिमाह वेतन आदि का उल्लेख अंकों व शब्दों में करें ।

कम सं0	ठेके पर लिये जाने वाले श्रमिकों की श्रेणी **(जलापूर्ति की दषा में प्रति टैंकर पानी प्रति लीटर सप्लाई की दर)**	श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी/दरें	ई0पी0एफ0 13.61%	सर्विस चार्ज की दर	सर्विस टैक्स की दर	कुल योग

नोट :–

1. उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त और कोई धनराशि प्रतिमाह देय नहीं होगी ।
2. उक्त दरें कर्मचारी को देय न्यूनतम पारिश्रमिक, नियमानुसार ई0पी0एफ0 तथा अन्य देय को समायोजित कर निर्धारित करें ।

हस्ताक्षर ठेकेदार.....................................

नाम ठेकेदार ....

दिनांक ....

कालेज में आउट सोर्सिंग पर कार्य कराने हेतु ठेकेदार के नियोजन हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदा हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें

1. मुहरबंद निविदा निदेषक, बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) के पते पर होनी चाहिये और लिफाफे के उपर निविदा खोलने की तिथि एवं विषय आवश्यकतानुसार श्रमिकों की आपूर्ति हेतु/टैंकर द्वारा जलापूर्ति हेतु निविदा लिखा होना चाहिये ।

2. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 25000/– (जलापूर्ति टैंकर द्वारा रू0 10000/–) का बैंक ड्राफट, जो निदेषक, बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा के पक्ष में बना हो, जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा जिसे संविदा स्वीकार न होने की दशा में संबंधित को वापस कर दिया जायेगा । उक्त धनराशि संविदा के अनुरूप कार्य न करने की दशा में या संविदा की अवधि के समाप्त होने से पूर्व कार्य बंद करने पर जब्त कर ली जायेगी ।

   टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई की दशा में प्रति लीटर पानी की कीमत के साथ ही साथ टैंकर की क्षमता का उल्लेख भी करें । टैंकर चालक के हैवी वाहन चालन का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा । टैंकर के परिचालन हेतु टैंकर का फिटनेस प्रमाण पत्र परिवहन विभाग (आर0टी0ओ0) द्वारा जारी होना आवश्यक होगा एवं निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।

3. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी, जिसे पक्षकारों की सहमति से बने नियम एवं शर्तों तथा कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है । ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक एवं सुचारू रूप से सम्पन्न न कराने पर एक माह का डिसमिस नोटिस देकर संविदा को निरस्त किया जा सकता है । ऐसी दषा में ठेकेदार या श्रमिकों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी । इस संबंध में संस्थान निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य तथा बाध्यकारी होगा ।

4. संस्थान द्वारा आबंटित कार्य को कराने की ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, अन्यथा की स्थिति में संस्थान को यह अधिकार होगा कि अगर किसी भी दिन ठेकेदार द्वारा कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया है तो दिये गये कार्य को अन्यथा सूत्रों से सम्पन्न कराया जायेगा जिसका पूर्ण खर्चा ठेकेदार के बिलों की राशि अथवा जमानत राशि में काट लिया जायेगा तथा इसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

5. ठेकेदार कार्य के लिये खुरपी, फावड़ा, सुरक्षा उपकरण तथा अन्य उपकरण (जहां जो लागू हो) की आपूर्ति अपने कार्मिकों को करेगा । आवश्यकता होने पर अन्य मशीन आदि की संस्थान/विभाग द्वारा आपूर्ति की जायेगी । ठेकेदार या उसके कर्मी की लापरवाही से संस्थान को यदि किसी प्रकार के सामान आदि की परोक्ष

व अपरोक्षा रूप से चोरी या हानि होती है तो वह ठेकेदार के बिल या जमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी ।

6. ठेकेदार अपने कुशल एवं वयस्क मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ मजदूरों को ही कार्य हेतु काम पर लगायेगा और मजदूरों को वर्तमान एवं भविष्य में समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन अथवा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करेगा । यदि संविदा के मध्य किसी ठेकेदार के कर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो नियमानुसार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा ।

7. ठेकेदार द्वारा लगायी गयी लेबर / श्रमिक द्वारा जाने या अनजाने में बरती गयी लापरवाही/उनके द्वारा किये गये अपराधों के कारण अगर किसी प्रकार की हानि/क्षति संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति को होती है तो उसकी जिम्मेदारी/क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी ।

8. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में लागू श्रम कानूनों को लागू करने व उनका परिपालन का उततरदायितव ठेकेदार का होगा ।

9. ठेके पर लगाये गये श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने या मृत्यु होने पर हर्जाना या अन्य कोई क्षतिपूर्ति जो कानूनी तौर पर देय होता है, को देने की की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

10. ठेकेदार द्वारा अपने मजदूरों से कराये गये कार्य का भुगतान कराया जायेगा तथा कराये गये कार्य का बिल भुगतान हेतु संस्थान को प्रस्तुत किया जायेगा ।

11. ठेकेदार को अपने मजदूरों की उपस्थिति के लिये एक उपस्थिति पंजिका रखना होगा जिसमें प्रतिदिन मजदूरों की उपस्थिति दर्षानी होगी और श्रम कानूनों के अनुसार अन्य सम्बन्धित रिकार्ड भी ठेकेदार को ही रखने होंगे । श्रम कानूनों, नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन होने की दषा में उसका पूरा उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

12. संस्थान में सुरक्षा तथा कुशल (तकनीकी) कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण ठेकेदार द्वारा संस्थान से प्राप्त करना अनिर्वाय होगा ।

13. ठेकेदार को अपने द्वारा कार्य पर लगाये कर्मियों को श्रम नियमों के अनुसार साप्ताहिक विश्राम देना होगा ।

14. किसी भी अन्य शर्तों जो दिये गये कार्य के संचालन से सम्बन्धित हो को संविदा में शामिल करने का अधिकार भी संस्थान में निहित होगा ।

15. संस्थान को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द / आंषिक स्वीकृत/ पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

16. ठेकेदार अथवा उसका कोई प्रतिनिधि कार्य अवधि में हर समय कार्य स्थल पर स्वयं उपस्थित रहेगा एवं संस्थान के कार्य निर्देषन में कोई भागीदारी नहीं करेगा । ठेकेदार का इस हेतु निर्धारित कार्य को गुणवत्ता पूर्ण कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

17. स्वीकृत निविदा के आधार पर की गयी संविदा को सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अन्य को हस्तानान्तरित नहीं किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत राशि जब्त करने का अधिकार संस्थान का होगा ।

18. ठेकेदार के बिल से प्रतिमाह आयकर की कटौती मौजूदा आयकर नियमों के अनुरूप की जायेगी तथा कटौती कर आयकर विभाग को भेज दी जायेगी । यदि आयकर नियमों में कोई संशोधन होता है तो वह भी ठेकेदार को मान्य होगा ।

19. संस्थान के अन्दर ठेकेदार एवं उसके द्वारा उपलब्ध कराया हुआ मजदूर किसी प्रकार की अषांति फैलाता है अथवा अक्षम पाया जाता है या अन्य किसी कारण से इसकी मौजूदगी संस्थान हित में नहीं है तो ठेकेदार को तुरन्त उस व्यक्ति को कार्य से हटाना होगा क्योंकि ऐसे मजदूरों पर संस्थान को कोई नियंत्रण नहीं है ।

20 किसी भी कर्मी के विरूद्ध शिकायत को ठेकेदार को प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर कार्य हेतु नया कर्मी उपलब्ध कराया जाना होगा ।

21. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो कि जिला मजिस्ट्रेट/ संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त होना चाहिये और जो छः माह से अधिक पुराना न हो ।

22. संस्थान तथा ठेकेदार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा एक पंचाट (Sole Arbitration) निदेषक, बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा द्वारा किया जायेगा जो अन्तिम होगा एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा तथा उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में दावा याचिका नहीं की जायेगी ।

23. यदि किसी कारणवश ठेकेदार अथवा संस्थान आपसी सहमति से कार्य अवधि के मध्य में ठेके को समाप्त करना चाहते हैं तो दोनों पक्षों को ठेका समाप्त करने से तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा ।

24. ठेकेदार को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक कार्य सम्पन्न कराने के उपरान्त अनुमन्य दर से अपने मजदूरों को विधिवत् भुगतान करने के उपरानत ही आगामी माह का बिल प्रस्तुत करना होगा । ठेकेदार काम सम्पन्न करने एवं सर्विस चार्ज का बिल अलग–अलग से दर्षायेगा । ठेकेदार को पूर्व माह के ई0पी0एफ0 कटौती एवं अंशदान का भुगतान ई0पी0एफ0 कार्यालय से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करने के उपरान्त आगामी माह के बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

25. ई0पी0एफ0 कोड धारक ठेकेदार ही निविदा प्रपत्र भरने हेतु अर्ह होगा ।

26. ठेका समाप्त होने की दषा में ठेकेदार द्वारा कालेज के कार्यों हेतु नियोजित अपने कर्मियों के ई0पी0एफ0 लेखा का निस्तारण नियमानुसार अतिशीघ्र कराया जाना आवश्यक होगा ।

27. निविदा मंजूर होने पर निविदादाता को कालेज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें रू0 100/– के स्टाम्प पेपर ठेकेदार को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में भरकर देना होगा ।

28. ठेकेदार द्वारा उपलबध कराये गये श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी धनराशि से नियमानुसार ई0पी0एफ0 की कटौती कर भविष्य निधि आयुक्त, हल्द्वानी कार्यालय में नियमानुसार जमा करना आवष्यक होगा जिसकी सूचना संस्थान निदेशक को भी देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में समस्त दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा । इसके लिये ठेकेदार का पंजीकरण भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में होना आवश्यक होगा ।

29. ठेकेदार द्वारा संस्थान के कार्यों हेतु नियोजित अपने सभी कर्मियों को जमा ई0पी0एफ0 राशि का विवरण ऑन–लाइन कराया जाना आवश्यक होगा ।

30 ठेकेदार द्वारा निविदा आबंटन हेतु किसी प्रकार की पैरवी या दवाब बनाने की स्थिति में निविदा समाप्त की जा सकती है ।

31. आउटसोर्सिग के माध्यम से भरे जाने वाले सभी पदों पर उत्तराखण्ड शासन के नियमों के अनुरूप आरक्षण का अनुपालन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा । आरक्षण का रोस्टर सभी ठेकेदार संस्थान कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें ।

32. ठेकेदार द्वारा सर्विस टैक्स तथा आयकर के भुगतान सम्बन्धी क्लियरेंस प्रमाण पत्र ठेका लेने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा ।

33. ई0पी0एफ0 तथा सामूहिक बीमा योजना आदि नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का पंजीकरण कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर ही निहित होगा एवं इसके लिये संस्थान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

34. कार्मिकों को दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 आदि नियोक्ता के अंश का क्रास चैक दिया जायेगा ।

35. ई0पी0एफ0 नियोजक एवं नियोक्ता के अंश का चालान प्रतिमाह कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा ।

36. निविदा का नोटिस अनुबन्ध पत्र का हिस्सा माना जायेगा और यदि निविदा के नोटिस अथवा अनुबन्ध में उल्लिखित किसी अंष या शब्द के व्याख्या के सम्बन्ध में कोई सन्देह होने की दशा में निदेशक, बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा का निर्णय अन्तिम होगा ।

37. निविदा प्रपत्र प्रेषित करते समय लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से निविदा आइटम नं0 एवं कार्य का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त निविदा के सम्बन्ध में दी गयी समस्त शर्तें मेरे द्वारा स्वयं पढ़ ली गयी हैं तथा मैं उपरोक्त समस्त शर्तों के विषय में पूर्ण रूप से परिचित हूं एवं बिना किसी दवाब के स्वेच्छा से उनको मानने के लिये तैयार हूं ।

हस्ताक्षर

नाम

पता

नियम व शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/– का रसीदी टिकट चस्पा कर हस्ताक्षर करते हुये संलग्न करना अनिवार्य है ।
2. ठेकेदार लोक निर्माण विभाग या उसके समकक्ष भवन निर्माण में न्यूनतम वर्ग c में पंजीकृत होना आवश्यक है ।
3. निविदा प्रपत्र के साथ पैन नं0, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है ।
4. धरोहर धनराशि राष्टीय बचत पत्र/डाकधर बचत बैंक पास बुक/राष्टीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में स्वीकार्य होगी जो निदेषक, बीटीकेआईटी, द्वाराहाट के पदनाम से बंधक करते हुये निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है ।
5. कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप ही कराया जायेगा ।
6. सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी ।
7. निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संस्थान निदेषक का होगा ।
8. निविदा की दरें एक वर्ष तक ही मान्य होंगी ।
9. कार्य के संतोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा ।
10. निविदा से संबंधित शर्तें कार्यालय दिवसों में आकर संस्थान में देखी जा सकती हैं ।
11. निविदा टू–बिड सिस्टम के तहत बंद लिफाफे में स्वीकार होंगी । पहले लिफाफे में तकनीकी बिड तथा दूसरे लिफाफे में फाइनेन्सियल बिड डाली जायेगी । लिफाफे के उपर ठेकेदार का नाम पता व मोबाइल नं0 लिखा होना आवष्यक है । लिफाफे के उपर मध्य में **"सिविल कार्यों हेतु दरें"** लिखा होना चाहिये ।
12. निविदा प्रपत्र पर ठेकेदार के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं ।
13. संस्थान मे कार्य की आवष्यकता को दृष्टिगत रखते हुये निविदा में उल्लिखित सामग्रियों की मात्रा को धटाया/बढ़ाया जा सकता है ।

प्रभारी अधिकारी,
सिविल रख–रखाव

बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्यौगिकी संस्थान
द्वाराहाट–263653, जनपद–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

विज्ञापन सं0–बि0त्रि0कु0प्रौ0सं0/दु0आ0/2014–15

निविदा जमा करने की तिथि 11–03–2015 सायं 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि 11–03–2015 सायं 3.30 बजे

क्रम सं0	**कैन्टीन/दुकान का नाम**	**कारपेट एरिया**	**मासिक दर**
1.	छात्रावास परिसर में जमुना केन्टीन	854 वर्गफिट	
2.	पुराने परिसर में स्टेशनरी की दुकान	230.46 वर्गफिट	
3.	पुराने परिसर में स्थित यमुना केन्टीन	1302 वर्गफिट	
4.	छात्रावास परिसर में स्टेशनरी की दुकान	180.98 वर्गफिट	
5.	छात्रावास परिसर में पी0सी0ओ0	86.07 वर्गफिट	
6.	छात्रावास परिसर में प्रेस/लाण्ड्री	160.81 वर्गफिट	
7.	आवासीय परिसर में पी0सी0ओ0	118.61 वर्गफिट	
8.	आवासीय परिसर में जनरल स्टोर	144.93 वर्गफिट	
9.	आवासीय परिसर में छात्राओं हेतु केन्टीन	161.40 वर्गफिट	
10.	आवासीय परिसर में फल एवं सब्जी की दुकान	118.61 वर्गफिट	
11.	आवासीय परिसर में स्टेशनरी की दुकान	118.61 वर्गफिट	
12.	प्रशासनिक परिसर में गंगा केन्टीन	526.70 वर्गफिट	
13.	प्रशासनिक परिसर में छात्राओं हेतु कैन्टीन	403.18 वर्गफिट	
14	आवासीय परिसर में प्रैस/लाण्ड्री	118.61 वर्गफिट	

दुकानदार/कैन्टीन संचालक
का नाम एवं पूर्ण पता

हस्ताक्षर

<u>निविदा की शर्तें</u>

1. निविदा टू बिड सिस्टम के तहत भरी जायेंगी। एक लिफाफे में तकनीकी बिड व दूसरे में फाइनैनसियल बिड रखी जायेंगी।
2. श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
3. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
4. तहसील द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
5. पैन कार्ड / टिन नम्बर।
6. पिछले 01 वर्ष का टर्नओवर।
7. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र।
8. अलग–अलग दुकानों हेतु अलग–अलग निविदायें भरी जायेंगी ।
9. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 15000/– की धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 निदेशक, बीटीकेआईटी द्वाराहाट के पक्ष में बनाकर जमा करना अनिवार्य है ।
10. प्रत्येक दुकानदार संचालक को अपनी दुकान की साफ–सफाई का ध्यान स्वयं रखना होगा ।
11. दुकान में कोई निर्माण कार्य (तोड़–फोड़) किसी भी दशा में संस्थान प्रशासन के लिखित अनुमोदन/स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा ।
12. विद्युत मीटर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी होगी ।
13. दुकान में मादक सामग्री (सिगरेट, गुटका, तम्बाकू इत्यादि) की बिक्री नहीं की जायेगी।
14. दुकान संचालकों को साफ सुथरी रेट लिस्ट अपनी दुकान में लगाना आवश्यक है ।
15. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार संस्थान प्रशासन के पास होगा ।

प्रभारी अधिकारी, सिविल